

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या-977 / 43-2-2005
लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन शासकीय अधिसूचना संख्या-856 / 43-2-2005-15 / 2(2) / 2003टी0सी0-4, दिनांक 14-9-2005 द्वारा प्रदेश में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन किया जा चुका है। अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उ0प्र0 सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस से अनधिक राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु संस्तुति देने हेतु अधिनियम की धारा-15(3) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल समिति का गठन निम्नवत करते हैं:-

- | | |
|---|-----------------|
| 1- मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश | ----मा0 अध्यक्ष |
| 2- मा0 नेता प्रतिपक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश | ----मा0 सदस्य |
| 3- मा0 मंत्री नगर विकास
विभाग, उत्तर प्रदेश | ----मा0 सदस्य |

गिरिराज वर्मा,
प्रमुख सचिव।

संख्या -977(1) / 43-2-2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 2- मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,



(गिरिराज वर्मा)
प्रमुख सचिव।